FORM No. II

फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व अपील प्राधिकारी ,सवाई माधोपुर

अज अदालत.....मुकाम.....

.....बुद्धराम वगै0.....बनाम.....बाबूलाल वगै0.....

.....

किस्म मुकदमा.....राज0 काश्तकारी अधि0 1955 अर्न्तगत धारा 225.....नं.....33.....सन्.....2023.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.03.23	पत्रावली बाद जाँच रिपोर्ट आज पेश हुई। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलाण्ट अधिवक्ता श्री रमेश चन्द गोयल उपस्थित। उनके द्वारा यह अपील अदालत मातहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली में दायर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, मुकदमा नंबर 19/2021 बउनवान बुद्धराम बनाम बाबूलाल वगै0 में पारित आदेश दिनांक 11.01.2023 से मियाद बाहर पेश की गई। अपीलाण्ट द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत अदालत मातहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली के अन्तिरम आदेश दिनांक 11.01.21 के विरूद्ध पेश की गई, जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण के दिनांक 12.07.21 तक इस कदर जारी की गई प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 02 ता 10 की सहखातेदारी की आराजी 291, 292, 295, 299, 300, 302, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 314, 316/1 कुल किता 16 कुल रकबा 12 बीघा वाके ग्राम जाखोदा तहसील सपोटरा एवं आराजी खसरा नंबर 78, 79, 669, कुल किता 3 कुल रकबा 07 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम ओड़च तहसील सपोटरा मे प्रार्थी के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा ना करें। मातहत अदालत के इस आदेश से व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा अपील न्यायालय हाजा में मियाद बाहर प्रस्तुत की गई। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अदालत मातहत द्वारा दिनांक 11.06.21 को अन्तिरम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी किया गया था। जिसे दिनांक 11.01.23 को बिना प्रार्थी को सुने ही निरस्त कर दिया । अतः अपील पेश	

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 11.01.23 को अपास्त फरमाया जावे।

अपील के साथ अपीलाण्टगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम भी पेश किया।

प्रार्थना पत्र दफा 05 मियाद अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 11.01.23 आदेश की नकल का प्रार्थना पत्र दिनांक 07.02.23 को प्रस्तुत किया नकल दिनांक 08.02.23 को प्राप्त की। इसके बाद उक्त आदेश के खिलाफ अपील 10.03.23 तक प्रस्तुत की जा सकती है लेकिन वकीलो की हडताल होने से अपील प्रस्तुत नहीं हो सकी है दिनांक 22.03.23 को कोर्ट वकीलो ने काम करना शुरू किया तब प्रार्थी के अधिवक्ता से दिनांक 23.03.23 को मिली अतः देरी की अवधि को कण्डोन किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है। अतः अपील हाजा को अंदर मियाद फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दफा 05 मियाद अधिनियम की एकपक्षीय बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपील अपीलाण्ट स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम को अपीलाण्ट द्वारा सशपथ सत्यापित किया है। विभिन्न माननीय न्यायालयों में मियाद बिन्दु के बारे में नरम रूख अपनाने के निर्देश देते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वाद को गुणावगुण के आधार पर, न कि तकनीकी आधार पर निपटाया जाना चाहिए। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है।

मुख्य बहस में अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा आलोच्य निर्णय पारित करते समय तीन तथ्यों प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का विवेचन नहीं किया गया। अपीलाण्टान के अधिकारों का हनन किया गया है। प्रार्थीगण के पिात देहावसान दिनांक 29.10.2008 को हुआ तब उक्त आराजीयात मे अपना कोई अधिकार नही होते हुये भी राजस्व कर्मचारियों से साझ कर गंगाधर की जमीनो के नामान्तकरण में अपना में अपना नाम भी दर्ज करवा लिया। जिसकी जानकारी अपीलार्थीगण को नहीं होने दी इस प्रकार बाबूलाल अपील के मद नंबर 02 में दर्ज जमीनों में बाबूलाल को कोई हक अधिकार नही है व अपीलार्थीगण बाबूलाल का नाम जमाबंदी से हजफ कराने के अधिकार है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार करते हुए तहत

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

अदालत द्वारा पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त करने के आदेश दिनांक 11.01.23 को अपास्त किया जावें।

हमने अधिवक्ता अपीलाण्ट की एकपक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया और अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 11.01.23 का अवलोकन किया गया।

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की पूर्ण पीठ के निर्णय रिविजन/एसआर/9867/2012/नागौर निर्णय दिनांक 12.03.2014 द्वारा एक राजस्व न्यायालय को एकपक्षीय या अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधि0 1955 में सक्षमता के बारे में विस्तृत विवेचन किया गया है। इस विवेचन के अनुसार एक राजस्व न्यायालय को, अपवादस्वरूप स्थिति में, एकपक्षीय या अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने की सक्षमता, राज0 काश्तकारी अधि0 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत है, यदि प्रथम दृष्टया, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के तीन महत्वपूर्ण घटक प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित पाये जाते हैं।

द्वितीय; महत्वपूर्ण बिन्दु कि क्या ऐसे आदेशों की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी को धारा 225 राज0 काश्तकारी अधि0 1955 के अन्तर्गत ग्रहण करने की सक्षमता है? इसके विवेचन में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत जारी किये गये एकपक्षीय या अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेशों को सुनने की क्षेत्राधिकारिता है, परन्तु आगामी पेशी तक प्रभावी रहने वाले आदेशों के लिये नहीं है।

इस बाबत माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा निम्नलिखित मार्गदर्शन परीक्षण न्यायालय हेतु जारी किये गये हैं–

1. प्रथम तो परीक्षण न्यायालयों को ऐसे आदेश जारी करने से बचना चाहिए, परन्तु परिस्थितियों की माँग है तो, धारा 212 के तीनों घटकों की विद्वतापूर्ण परीक्षण करने पर यदि प्रकरण पाया जाता है तो जारी किया जाना चाहिए।
2. यदि ऐसा प्रकरण पाया जाता है कि एक पक्षीय या अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना अत्यन्तावश्यक है तो यह स्वस्पष्ट व तार्किक होना चाहिए और एक माह की अवधि में निस्तारित किया जाना चाहिए।
3. परीक्षण न्यायालय को ऐसे आदेशों की सूचना अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाने का प्रावधान बाध्यकारी है।
4. परीक्षण न्यायालयों के लिए यह बाध्यकारी है कि अस्थाई निषेधाज्ञा के ऐसे आदेश जो एकपक्षीय आदेश आदेश 39 नियम 3ए सीपीसी के तहत दिये गये हैं, उनको 30 दिवस की अवधि में निस्तारित किया जाना चाहिए।

Scanned with CamScanner

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। मुख्य बहस पर मनन किया गया।

रिकार्ड के अवलोकन से जाहिर आया कि अदालत मातहत की आदेशिका दिनांक 11.06.21 के द्वारा अप्रार्थीगण को जरिये अन्तिरम जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया हुआ है। परन्तु अदालत माहत द्वारा आलौच्य आदेश दिनांक 11.01.23 को बिना अपीलांट को सुने, बिना विवेचन किए ही अपीलांट/प्रार्थी के पक्ष में जारी अन्तिरम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 11.06.21 को निरस्त कर दिया। उक्त आलौच्सय आदेश विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना **"न्यायिक विवेक"** का उपयोग किए ही **मनमर्जी** से विधि विपरीत आदेश पारित किया है जो अपास्त योग्य है अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 02 ता 10 की सहखातेदारी की आराजी 291, 292, 295, 299, 300, 302, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 314, 316/1 कुल किता 16 कुल रकबा 12 बीघा वाके ग्राम जाखोदा तहसील सपोटरा एवं आराजी खसरा नंबर 78, 79, 669, कुल किता 3 कुल रकबा 07 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम ओड़च तहसील सपोटरा मे उपखण्ड अधिकारी सपोटरा के मुकदमा नंबर 19/21 के आदेश दिनांक 11.01.23 को निरस्त किया जाता है। अदालत मातहत को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभय पक्षों को 'सुनवाई का युक्तियुक्त' अवसर प्रदान करते हुए एक माह की अवधि में निस्तारण करें। निर्णय की एक प्रमाणित प्रति अदालत मातहत को प्रेषित की जावें।

पत्रावली को इसी स्तर पर निस्तारण किया जाकर दाखिल दफ्तर किया जावें।

आदेश आज दिनांक 31.03.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(4)

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner